

दवाला और दवालयिापन संहति संबधति असपष्ट ग्राहक अधकिार

संदर्भ

वर्ष 2016 में पारति दवाला और दवालयिापन संहति (आईबीसी), सभी सुधारों में एक अत्यंत प्रमुख पहल है, कतिु इसमें बहुत से कषेत्रों को अपरभिषति ही छोड़ दिया गया है, जनिको लेकर हाल के दिनों में चर्चाएँ शुरु हो गई है और इसमें शामिल ऐसा ही एक अपरभिषति कषेत्र ग्राहकों के अधकिारों से संबधति है।

प्रमुख तथ्य

- जब आईबीसी 2016 पेश कया गया था, तो उसमें कंपनी के लेनदारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत कया गया है जिसमें पहला, वत्तीय लेनदारों (बैंक और वत्तीय संस्थाएँ) और दूसरा परचालन लेनदारों (आपूर्तकिरताओं और वकिरेताओं) से संबधति है।
- आईबीसी ने अन्य लेनदारों या ग्राहकों की स्थति को संबधति नहीं कया था जो इन दो श्रेणियों में से किसी एक में भी फटि नहीं हो सके हैं।
- इन अन्य लेनदारों में होमबॉयर्स, जमा धारक और ग्राहक जैसे सेगमेंट शामिल थे, जनिहोंने खरीदारी के लिये अग्रमि भुगतान भी कया था।
- गौरतलब है कि ग्राहकों संबधी यह मुद्दा जेपी इफ्राटेक के होमबॉयर्स, टेलीकॉम फर्म एयरसेल और नाथला ज्वैलर्स के मामले के दौरान प्रकाश में आया और अगस्त 2017 में कॉर्पोरेट दवालयिापन प्रक्रया नयिओं में एक संशोधन के तहत एक नया नयिम जोड़ा गया।
- इस संशोधन के तहत वनियिमन 9ए में लेनदारों की एक नई अवशषिट श्रेणी अर्थात् अन्य लेनदारों (वत्तीय और परचालन के अलावा सभी लेनदारों) को शामिल कया गया।
- यह वनियिम रीजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के साथ फॉर्म एफ को भरकर दवालयिापन संहति के तहत अन्य लेनदारों को एक फर्म के खलिाफ दावा दायर करने हेतु सकषम बनाता है।
- अन्य लेनदारों संबधी इस नयिम के बावजूद, अभी भी उन ग्राहकों के लिये अनश्चितता है जनिहोंने कंपनी को अग्रमि भुगतान कया था।
- अभी भी मुख्य मुद्दा यह बना हुआ है कि कया अग्रमि भुगतान करने वाले ग्राहकों को कंपनी के कर्जदार बैंकों और अन्य वकिरेताओं के सामान ही व्यापार के सामानय नयिओं के अनुसार समान व्यवहार कया जाएगा और कया इस प्राथमकिता क्रम के अनुसार दवालयिापन प्रक्रया के तहत पुनर्भुगतान कया जाएगा।

कया है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016'?

- पछिले ही वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थकि सुधारों की दशिा में कदम उठाते हुए एक नया दवालयिापन संहति संबधी वधियक पारति कया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लमिटिड लाइबलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालयिा हो सक्ते हैं। यदि कोई आर्थकि इकाई दवालयिा होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्त्तिया फर्म को भी तरह-तरह की मानसकि एवं अन्य प्रताडनाओं से गुजरना पडता है।
- देश में अभी तक दवालयिापन से संबधति कम से कम 12 कानून थे जनिमें से कुछ तो 100 साल से भी जयादा पुराने हैं।

संबधति कानूनी सुरक्षा कया है?

इसमें कोई शक नहीं कि जमाकर्त्ताओं के हत्तों की रक्षा के लिये कानूनी सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है। आईबीसी अभी अपने शुरुआती दिनों में है और इससे संबधति मूल प्रश्न यह है कि वह अपने भन्नि-भन्नि ग्राहकों को किस तरह वर्गीकृत करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन फर्मों के लिये ग्राहकों का व्यक्त्तगत संपर्क छोटा हो सक्ता है लेकिन, सामूहकि रूप से वे बकाया धन का एक बड़ा हसिसा भी बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह कोड इस बड़े अछूते भाग को स्पष्ट करने के लिये शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएगा, जो मशिरति प्रकार के इन ग्राहकों से संबधति अहम मुद्दा रहा है और जहाँ त्वरति समाधान की जरूरत है।

